न्यायालय श्री सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—145 / 2018

प्रार्थीः— सुखाराम पुत्र श्री इन्द्राराम, जाति जाट, निवासी जसनाथपुरा थोब, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. रेवतराम पुत्र श्री लादुराम
2. हनुमानराम पुत्र श्री लादुराम
3. मोहनराम पुत्र श्री उमाराम
   जाति जाट निवासी जसनाथपुरा थोब,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
4. श्रीमान् सहायक अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. ओसियां।
5. श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित —

प्रार्थी — अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा।

अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि— प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम जसन[illegible] संख्या 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा [illegible] 4 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम भाखरों की [illegible]सियां, जिला जोधपुर [illegible] सरहद में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर [illegible] ग्राम जसनाथपुरा में प्र[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 323 ग्राम भाखरों की ढाणी में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि पूर्व में खातेदार लादुराम पिता हीराराम के नाम से 1/2 हिस्से के रूप में दर्ज थी। लादुराम द्वारा अलग-अलग भूमि हस्तान्तरण करने से अन्य अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं है मौके पर वादग्रस्त भूमि के पश्चिमी 1/2 भाग पर प्रार्थी का लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी हर वर्ष सावणु साख के रूप में काश्त करता है। अन्य सभी खातेदारान का संयुक्त रूप से पूर्वी 1/2 हिस्से पर कब्जा है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उक्त भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 गलत तरीके से प्रार्थी के हक अधिकार व कब्जा काश्त सुदा भूमि में गलत तरीके से दखलंदाजी कर रहे है तथा बिना विभाजन करवाये गलत तरीके से प्रार्थी के हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य करना चाहते है। इसी आशय से दिनांक 23.10.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व कुछ मजदूर मौके पर खसरा नम्बर 323 की भूमि में जहां प्रार्थी का पश्चिमी 1/2 हिस्सा है उसमें गलत तरीके से निर्माण करने के लिये नींवे इत्यादि खोदनी शुरू कर दी तब प्रार्थी ने जाकर इन लोगों को मना किया तो ये लोग नहीं माने व एलानिया प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करने हेतु उतारू हो गये, तब प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 4 सहायक अभियन्ता जो.वि.वि.नि.लि. ओसियां के पास आकर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन किया हुआ नहीं है। प्रार्थी की भूमि पर गलत तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है तब अप्रार्थी संख्या 4 ने प्रार्थी की नहीं सुनी तथा प्रार्थी को कहा कि हम हमारी मनमर्जी से मौके पर निर्माण कार्य करवायेंगे जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 4 को भूमि पूर्व में खातेदार लादुराम द्वारा बग्सीस की गई है जो गलत है तथा लादूराम का खसरा नम्बर 323 में पूर्वी 1/2 हिस्से पर कब्जा था वहीं पर अप्रार्थी संख्या 4 अपना निर्माण कार्य कर सकता ... की भूमि पर निर्माण कार्य करने का अप्रार्थीगण को कोई अ... खातेदारान अप्रार्थीगण को कहा कि वादग्रस्त भूमि का पहले माप ए... सीमांकन अनुसार विभाजन करवा लो उसके बाद जहां मौके पर आपकी जमीन आ रही है वहीं पर निर्माण कार्य कर लो तो अप्रार्थीगण ने विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया और कहा कि हम तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आपकी भूमि में जबरन निर्माण करेंगे। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों अनुसार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित हैं तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में अपूर्णीय क्षति भी निश्चित तौर से प्रार्थी को ही हो रही है, क्योंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा वादग्रस्त भूमि में पश्चिमी 1/2 हिस्से पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदा भूमि में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी तथा जबरदस्ती प्रार्थी की भूमि में निर्माण करने हेतु उतारू है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होते है तो प्रार्थी को भयंकर असुविधा का सामना करना पड़ेगा तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई रूपयों में पैसो में नहीं की जा सकेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टिया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन है कि वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम जसनाथपुरा (थोब) तथा खसरा नम्बर 323 रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम भाखरों की ढाणी (थोब) तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थी का 1/2 हिस्से पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी के कब्जा काश्त सुदा भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें, किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता दिनेश मदेरणा उपस्थित तथा उनकी ओर से वकालात नामा पेश किया अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खण्डित करते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया बहस पर मनन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि पश्चिमी तरफ प्रार्थी का 1/2 हिस्सा के रूप में

Scanned by CamScanner

कब्जा व काश्त है तथा प्रार्थी द्वारा बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत किया जा चुका है। अप्रार्थीगण के जवाब से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व नजरी नक्शे अनुसार विभाजन नहीं होने बाबत् कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा प्रार्थी एक रेकर्डेड खातेदार है जो अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कर उस पर निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बेखुबी प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू भी उपरोक्त परिस्थिति अनुसार प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 265 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम जसनाथनगर (थोब), खसरा नम्बर 323 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा मौजा ग्राम भाखरों की ढाणी (थोब), तहसील ओसियां में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार 1/2 हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावें मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा किसी प्रकार का निर्माण इत्यादि नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 30/10/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner